न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2023/351
मुकदमा नम्बर 92/2023

दर्ज दिनांक–22.08.2023

1. छोटु पुत्र भगवाना
2. जगन पुत्र भगवाना
3. केशी पत्नी स्व.धना
4. शेर सिंह पुत्र धना
5. श्याना देवी पत्नी छोटुराम
6. श्रवण कुमार पुत्र जयसिंह
7. सुमन पुत्री जयसिंह
8. सरिता देवी पत्नी स्व. जयसिंह समस्त जाति जाट निवासी झाझडियों की ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

दावा घोषणार्थ एंव नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 18.06.2024**

वादी द्वारा वाद अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम झाझडियों की ढाणी पटवार हल्का बिरोल की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 178 पुराना 33 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1202 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1203 रकबा 3.62 है0, खसरा नं. 1204 रकबा 0.08 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.72 है0 जिसमें से वादी का खसरा नं. 1203 रकबा 3.62 है0 का नजरी नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में बिन्दू PBDR के अनुसार दर्ज किया जावें तथा खसरा नं. 1434/1203 जो नजरी नक्शे में ABC से दर्शित किया है उसको हटाया जाकर B व C जो रास्ते का है उसको गै.मु. रास्ता दर्शित किया जावें। नजरी नक्शें के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें व घोषणा की जावें तथा दुरूस्ती के आदेश की तहरीर तहसीलदार नवलगढ को भेजी जावे।

वाद इस कदर पेश होने पर प्रतिवादी की तलबी जारी कि गई। प्रतिवादी की ओर से पैरो. राज. उपस्थित हो पत्रांक भू.अ./21/1448 दिनांक 12/12/2023 द्वारा रिपोर्ट/जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार ग्राम झाझडियों की ढाणी के खसरा नं. 1203 का रकबा 3.62 है0 राजस्व नक्शा सीट व जमाबन्दी अनुसार सही है तथा खसरा नं. 1434/1203 रकबा 0.10 है0 भू प्रबन्ध सन् 1979–80 से पूर्व भी खसरा सं. 475 रकबा 1 बीघा किरम गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

वकील वादी तथा पैरो. राज द्वारा बहस पेश करने से बगौर सुनी गई। विद्वान वकील वादी द्वारा अपने वाद मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार कर रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। पैरो. राज. द्वारा वकील वादी के कथनों का विरोध करते हुये दावा खारीज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील वादी तथा पैरो. राज. द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

वकील आवेदक अपने वाद में चाहे गये अनुतोष को जरिये साक्ष्य सबूत साबित किये जाने मे असमर्थ रहे है। पैरो. राज. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय, आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner